

UPBJ240019792022



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

फौजदारी वाद सं0: 1698/2022

सरकार

बनाम

मौ0 वासिफ

मु0अ0सं0— 223/2020

थाना— नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर आप **मौ0 वासिफ** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ—

प्रथम— यह कि दिनांक 27-05-2020 को समय 16-00 बजे, स्थान कासमियां इण्टर कॉलेज के पास, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में आपने वादिनी मुकदमा अलिशा के साथ अश्लील हरकतें कर छेड़खानी करते हुए उसकी लज्जा भंग करने के आशय से अपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने धारा **354** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा उपरोक्त को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपने धारा **506** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

दिनांक : 30-06-2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक : 30-06-2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212